FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0033 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/11/2025 17:32 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2013 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2015

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 09:00 hrs **Time To (समय तक):** 09:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/11/2025 **Time (समय):** 02:45 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 30/11/2025 16:25 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 40 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): Panipat,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Hem Raj

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 18/01/1971 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Bahri, ASSANDH, KARNAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Bahri, ASSANDH, KARNAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): 91-180-2699116 Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416238436

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	लोकेश		Father's Name: चन्द्रपाल	1. वासी नलवा कालोनी गाँव उझा,थाना चान्दनी बाग जिला पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
2	सुरेश कुमार		Father's Name: ज्ञानी राम	1. जमालपुर तहसील भवानी खेड़ा,मालिक सुपिरियर कोचिंग सैन्टर,तौशाम जिला भिवानी, BHIWANI,HARYANA,INDIA
3	अरविन्द सांगवान		Father's Name: श्री चांदी राम	1. गांव ढाणा कलांथाना हांसी हिसार,मकान न0 459 अर्बन अस्टेट-2,थाना सैक्टर-16/17 हिसार,HISAR,HARYANA,INDIA
4	रिंकु राम		Father's Name: प्रेम चन्द	1. वासी रेरकला थाना सदर पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA

5	प्रिसिपलचेयरमैन			1. ACE COMMUNITY COLLEGE BIKANER,RAJASHTAN,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
6	सी0एस0पी0 धारक राज कुमार		Father's Name: रोहताश	1. मेन गैस गोदाम के पीछे उच्चा,गावं 5 न0 चुगी बल्लभगढ,जिला फरीदाबाद FARIDABAD,HARYANA,INDIA
7	सी0एस0पी0 धारक धन सिह		Father's Name: श्री राम चन्द्र	1. मकान न0 506 मुथुका मोड अटेली,बल्लभगढ फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
8	सी0एस0पी0 धारक दीपक गुप्ता		Father's Name: नन्द किशोर गुप्ता	1. मकान न0 सी-11 मेन मार्किट,चावला कॉलोनी बल्लभगढ,फरीदाबाद FARIDABAD,HARYANA,INDIA
9	सी0एस0पी0 धारक नंद किशोर गुप्त		Father's Name:	1. मकान न0 सी-11 मेन मार्किट,चावला कॉलोनी बल्लभगढ,जिला फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
10	सी0एस0पी0 धारक मोहम्मद कुरैशी		Father's Name: मोहम्मद नासिर	1. डाकुरगंज सूर्या पैलेस एमकेओ,NUH,HARYANA,INDIA
11	सी0एस0पी0 धारक प्रवीन भाटी		Father's Name: प्रेमपाल भाटी	1. मकान न0 2111 मलेरना रोड,छज्जु राम विधालय आर्दश नगर,बल्लभगढ FARIDABAD,HARYANA,INDIA
12	सी0एस0पी0 धारक राहुल भाटी		Father's Name: प्रेमपाल भाटी	1. मकान न0 2111 मलेरना रोड,छज्जु राम विधालय आर्दश नगर,बल्लभगढ, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
13	सी0एस0पी0 धारक जगदीश		Father's Name: राम स्वरूप	1. बुलवाना थाना होडल,एम0आर0 गउशाला रोड,हसनपुर चैक जिला पलवल, PALWAL,HARYANA,INDIA
14	सी0एस0पी0 धारक प्रवीन कुमार		Father's Name: चेत राम	1. नांगल जाट तहसील हथीन,जिला पलवल, PALWAL,HARYANA,INDIA
15	सी0एस0पी0 धारक बॉबी कुमार		Father's Name: रमन लाल	1. मकान न0 1 गली न0 4 भीम सिंह,कालोनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

16	हरेन्द्र कुमार			1. एक्जीकयूटिव मैनेजर स्टारफीन,कम्पनी हथाना युपी,GAUTAM BUDH NAGAR,UTTAR PRADESH,INDIA
17	संजीव कुमार		Father's Name: दयाल चन्द	1. गांव समौरा थाना इन्द्री,जिला करनाल,ACB,Karnal,State Vigilance #amp; Anti Corruption Bureau,Haryana,HARYANA,INDIA
18	प्रिसिपल			1. शिवालिक इन्सीटिच्युट आफ मैडिकल,साईस मौहाली पंजाब,SAS NAGAR,PUNJAB,INDIA
19	श्रीमति रेणू सिसोदिया			1. तत्कालीन डी0डब्लयू0ओ0,पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
20	दिनेश कुमार			1. तत्कालीन डिलिंग क्लर्क,कार्यालय डी0डब्लयू0ओ0 पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबंधक अफसर,थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल । श्रीमान जी, निवेदन है कि जाच क्रमांक 01 दिनांक 07.02.2020, पंचकुला (भाग पानीपत) मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चैकसी विभाग के यादी क्रमांक 38/08/2019-3 चैकसी(1) दिनांक 27.01.2020 की अनुपालना में महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 3490-96/आई-1/रा0चै0ब्यू0, (ह0) दिनांक 04.03.2022 अनुसार दर्ज रजिस्टर्ड होकर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल के आदेश क्रमांक 281/रा0चै0ब्यू0, करनाल दिनांक 07.03.2022 अनुसार पड़ताल हेतू मन निरीक्षक को प्राप्त हुई थी, जिसमें जिला पानीपत मे वर्ष 2012-13, 2013-2014, 2014-15 तक अनुसूचित जातिएवं पिछडा वर्ग के छात्रो को कालेज/शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई/कोर्स के दौरान दी जाने वाली छात्रवृति में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कालेज/शिक्षण संस्थानों व कुछ प्राईवेट व्यक्तियों से मिलीभगत करके फर्जी तरीके से छात्रवृति वितरण में गबन करने बारे आरोप था। मन निरीक्षक द्वारा की गई जाच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2012-2013 में कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी पानीपत द्वारा स्वीकृति 31 स्वीकृतियों के आधार पर कुल 1012 छात्रों की छात्रवृति की कुल राशि 1,49,98,798/-रू0

स्वीकृत की गई है। जिनमें 978 छात्र जिला पानीपत के 36 संस्थानों में व 34 छात्र हरियाणा राज्य से बाहर के 22 संस्थानों में पढने पाये गये है। छात्रों के बैंक खातों से सम्बन्धित प्राप्त रिकार्ड से छात्रवृति की राशि छात्रों के बैंक खातों में जानी पाई गई है। इसी प्रकार वर्ष 2013-2014 में कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी पानीपत द्वारा स्वीकृति 24 स्वीकृतियों के आधार पर कुल 975 छात्रों की छात्रवृति की कुल राशि 2,08,22,134/-रू0 स्वीकृत की जानी पाई गई है। जिनमें 901 छात्र जिला पानीपत के 31 संस्थानों में व 74 छात्र हरियाणा राज्य से बाहर के 28 संस्थानों में पढने पाये गये है। छात्रों के बैंक खातों से सम्बन्धित प्राप्त रिकार्ड से छात्रवृति की राशि छात्रों के बैंक खातों में जानी पाई गई है। इसी प्रकार जांच से पाया गया है कि वर्ष 2014-2015 में कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी पानीपत द्वारा स्वीकृति 32 स्वीकृतियों के आधार पर कुल 1088 छात्रों की छात्रवृति की कुल राशि 1,56,25,526/-रू0 स्वीकृत की जानी पाई गई है। जिनमें 830 छात्र जिला पानीपत के 30 संस्थानों में व 258 छात्र हरियाणा राज्य से बाहर के 40 संस्थानों में पढने पाये गये है। तसदीक पर कुछ छात्रों ने छात्रवृति न मिलने बारे कहा।

वर्ष 2014-15 की स्वीकृति न0 678-82 दिनांक 20.03.2015 अनुसार तोशाम जिला भिवानी में केनरा बैंक से 39 छात्र/छात्रओ के खुलने वाले खातो के सम्बन्ध में रिकार्ड प्राप्त किया गया। जो खातों में से राशि ए.टी.एम. के माध्यम से व विड्राल स्लीप के माध्यम से निकाली जानी पाई गई है। स्वीकृति में दर्शाये गये छात्रों ने अपने-2 कथन में बतलाया कि लोकेश पुत्र चन्द्रपाल ने सभी छात्रों को बहला फुसलाकर उनके दस्तावेज लेकर कई कागजों/फार्मो पर हस्ताक्षर करवाकर उनको अलग-2 डिप्लोमें/डिग्री व कोर्स करवाने का झांसा देकर डिप्लोमा/डिग्री व कोर्स आदि के लिए तैयार करना पाया गया, परन्तु किसी भी छात्र/छात्रा को स्कालरशीप की राशि प्राप्त नही होनी पाई गई।जो स्वीकृति अनुसार बैंक खातो मे भेजी गई छात्रवृति की राशि को सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के खातो से सुरेश कुमार पत्र ज्ञानी राम वासी जमालपुर तहसील भवानी खेड़ा जिला भिवानी मालिक सुपिरियर कोचिंग सैन्टर तोशाम जिला भिवानी द्वारा गलत तरीके से निकलवाकर/प्राप्त करके सरकार को कुल 11,81,700/-रुपये की वितिय हानि पहुंचाई जानी पाई गई है।

वर्ष 2014-15 की स्वीकृति न0 1313-17 दिनांक 30.06.2015 में दर्शाये गये छात्रों के सम्बन्ध में एस0बी0आई0 बैंक सौंदापुर पानीपत से प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि स्वीकृति में दर्शाए गये 30 छात्र/छात्राओं के बैंक खाते सी0एस0पी0 (कस्टमर सर्विस प्वाईंट) के माध्यम से खुलने पाए गए। उक्त खातों में पैसों की ट्रांजेक्शन सी0एस0पी0 (कस्टमर सर्विस प्वाईंट) के माध्यम से हुई है, जिनकी कोड संख्या 1A7638651 राहुल भाटी आर्दश नगर मलरेना रोड बालगड, कोड संख्या 1A4904362-नंद किशोर गुप्ता सी0-2 चावला कॉलोनी, कोड संख्या 1A4906291-राजकुमार बलभगड फरीदाबाद, कोड संख्या 1A763865-प्रवीन भाटी आर्दश नगर मलरेना रोड बालगड, कोड संख्या A940797-जगदीश एम0आर0 गउशाला रोड हसनपुर चैक, कोड संख्या 1I761784-नंद किशोर गुप्ता सी0-2 चावला कॉलोनी, कोड संख्या 3A942658-प्रवीन कुमार वासी नांगल जाट तहसील हथीन, कोड संख्या 1I490436-दीपक गुप्ता ए-216 चावला कॉलोनी बालगड रोड फरीदाबाद, कोड संख्या 3A9437976-बॉबी कुमार बालगढ पाई गई है। उपरोक्त 30 बैंक खातों में से 24 बैंक खातों में 31,300/-रू0 प्रत्येक खाते में व 6 बैंक खाता में 35300/-रू0 की राशि प्रत्येक खाता DWO कंटीजैंसी के तहतं प्राप्त होनी पाई गई। रिकार्ड व तसदीक अनुसार पाया गया कि सभी बैंक खातों में जो राशि प्राप्त हुई है वह बैंक खाते छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा/डिग्री का लालच देकर गलत तरीके से खुलवाए गए है जो उक्त बैंक खातों में सरकार से छात्रवृति की राशि लगभग 9,63,000/-रू0 छात्रवृति के लिये आने पाए गए है। इस प्रकार स्वीकृति न0 1313-17 दिनांक 30.06.2015 अनुसार सरकार द्वारा जारी की गई छात्रवृति की राशि कुल 9,63,000/-रू0 सरकार को वितीय हानि तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उचित लाभार्थी तक न पहुंचाया जाना पाया गया है।

जांच के सम्बन्ध में सी0एस0पी0 धारक जगदीश पुत्र राम स्वरूप वासी बुलवाना थाना होडल जिला पलवल एम0आर0 गउशाला रोड हसनपुर चैक कोड संख्या 3ए940797 व सी0एस0पी0 धारकप्रवीन कुमार पुत्र चेत राम वासी नांगल जाट तहसील हथीन जिला पलवल कोड संख्या 3ए942658, सी0एस0पी0 धारक दीपक गुप्ता पुत्र नन्द किशोर गुप्ता वासी मकान न0 सी-11 मेन मार्किट चावला कॉलोनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद कोड संख्या 1ए490436, सी0एस0पी0 धारक बॉबी कुमार पुत्र रमन लाल वासी मकान न0 1 गली न0 4 भीम सिंह कालोनी बल्लभगढजिला फरीदाबाद जिसका कोड संख्या 3ए9437976 को शामिल जांच करके कथन अंकित किये गये, जिन्होने अपने-2 कथन में छात्र/छात्रों के बैंक खाते उन द्वारा अपनी सी.एस.पी. के माध्यम से खोलने तथा छात्रवृति की राशि को निकालने बारे माना है। जिन्होने मुख्य साजिशकर्ता सी0एस0पी0 धारकराजकुमार पुत्र रोहताश निवासी मेन गैस गोदाम के पीछे उच्चा गावं 5 न0 चुगी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद कोड संख्या-1ए4906291, सी0एस0पी0 धारक धन सिह पुत्र श्री राम चन्द्र मकान न0 506 मुथुका मोड अटेली बल्लभगढ फरीदाबाद कोड संख्या-1ए4906291 व हरेन्द्र वासी थाना यु.पी. के साथ मिलकर साजिश

को अन्जाम दिया है।

जाँच के सम्बन्ध में वर्ष 2014-15 की स्वीकृति न0 1341-45 दिनांक 08.07.2015 स्वीकृति न0 1346-50 दिनांक 08.07.2015, स्वीकृति न0 1351-55 दिनांक 08.07.2015 के सम्बन्ध में प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि उक्त तीनों स्वीकृतियों में 48 छात्र-छात्राएं पढने पाये गये है। जांच पर यह भी पाया गया है कि अरविन्द सांगवान नाम के व्यक्ति ने रिंकु राम पुत्र प्रेम चन्द वासी गाँव रेरकलां व अन्य के साथ मिलकर गाँव रेरकलां जिला पानीपत व आस-पास गांव के काफी छात्र-छात्रों को बहला फुसला कर कोर्स/डिप्लोमा का लालच देकर ACE COMMUNITY COLLEGE BIKANER RAJASHTAN का कोर्स करवाने बारे कहा व सभी को उनके द्वारा जिला पानीपत व हिसार मे ले जाकर अलग-2 बैको मे उनके बैंक खाते खुलवाऐं गये तथा सभी छात्र/छात्राओं के अरविन्द सांगवान ने कागजात लेकर अन्य भी कई कागजातो पर हस्ताक्षर करवाऐं गये थे। इसके करीब एक साल के बाद सभी छात्र/छात्राओं के गांव रेरकलां जिला पानीपत की बाजीगर चैपाल मे सभी बच्चो के पेपर लिये व पेपर लेने के बाद सभी पेपर अरविन्द सांगवान अपने साथ ले कर चला गया, जिनका आज तक ना तो कोई रिजल्ट आया और ना ही किसी को डिग्री प्राप्त हुई और न ही किसी को छात्रवृति प्राप्त हुई। उपरोक्त तीनों संदेहजनक स्वीकृतियों अनुसार छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृति की राशि कुल 29,90,400/-रू0 अलग-2 बैंकों में जमा होने पाये गये। परन्तु किसी भी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की राशि प्राप्त होनी नही पाई गई। जिससे अरविन्द सांगवान ने रिंकु राम पुत्र प्रेम चन्द वासी गाँव रेरकलां व अन्य के साथ मिलीभगत करके सरकार को कुल 29,90,400/-रू0 की वितीय हानि होनी पाई गई।

जाँच के सम्बन्ध में वर्ष 2014-15 की स्वीकृति न0 1445-49 दिनांक 22.07.2015 के सम्बन्ध में प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि स्वीकृति में कुल 08 छात्र ACE COMMUNITY COLLEGE BIKANER RAJASHTAN में पढने पाये गये है। जो इन 08 छात्रों के बैंक खाते यू.डी.आई. बैंक जी.टी. रोड पानीपत में खुलने पाये गये है जो मुताबिक बैक रिकार्ड सभी खातों में DWO कंटीजैंसी के तहत 62,300/-रू0 प्रति खाता में आने पाये गये है और सभी खातों से राशि की निकासी होनी पाई गई है। जांच में सभी 8 छात्र वासीयान गांव गवालड़ा जिला पानीपत के कथनों अनुसार वर्ष 2013-14 में ना ही उन्हे एम.पी.एच.डब्ल्यु. कोर्स की डिग्री प्राप्त हुई और ना ही वे कभी ए.सी.ई कम्युनिटी कालेज बीकानेर राजस्थान में गये। जांच पर यह भी पाया गया है कि अरविन्द सांगवान व अन्य ने गांव गवालड़ा जिला पानीपत के काफी छात्रों को बहला फुसला कर कोर्स/डिप्लोमा का लालच ACE COMMUNITY COLLEGE BIKANER RAJASHTANls MPHW का कोर्स करवाने का लालच देकर युनियन बैंक पानीपत में बैंक खाते खुलवाऐं तथा सभी छात्रांऔ के अरविन्द सांगवान ने अन्य कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाऐं थे। उपरोक्त स्वीकृति न0 1445-49 दिनांक 22.07.2015 अनुसार छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृति की राशि कुल 4,98,400/-रू0 बैंक में जमा होने पाये गये। परन्तु किसी भी छात्र को छात्रवृति की राशि प्राप्त होनी नही पाई गई। जिससे अरविन्द सांगवान व अन्य ने आपस में मिलीभगत करके सरकार को कुल 4,98,400/-रू0 की वितीय हानि पहुंचाई जानी पाई गई।

जाँच की पड़ताल से पाया गया है कि छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा/डिग्री का लालच देकर गलत तरीके से बैंकों में खाते खुलवाकर व पैसों की निकासी करके सरकार को स्वीकृति न0 678-82 दिनांक 20.03.2015 अनुसार 11,81,700/-रू0, स्वीकृति न0 1313-17 दिनांक 30.06.2015 अनुसार 9,63,000/-रू0, स्वीकृति न0 1341-45 दिनांक 08.07.2015 अनुसार 9,96,800/-रू0, स्वीकृति न0 1346-50 दिनांक 08.07.2015 अनुसार 9,96,800/-रू0, स्वीकृति न0 1351-55 दिनांक 08.07.2015 अनुसार 9,96,800/-रू0, स्वीकृति न0 1445-49 दिनांक 22.07.2015 अनुसार 4,98,400/-रू0 कुल 56,33,500/-रूपये की वितीय हानि सरकार को होनी पाई गई है व जरूरतमंदों के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कालरशीप राशि का दुरूपयोग व गबन किया गया है।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सभी स्वीकृतियों की तस्दीक तत्कालीन क्लर्क दिनेश कुमार द्वारा करके DWO के सम्मुख पुटअप की गई है, जिस सम्बन्ध मे तत्कालीन DWO श्रीमति रेनु सिसोदिया हाल DWO रोहतक व दिनेश कुमार कलर्क हाल असिसटैन्ट कार्यालय DWO करनाल से पुछताछ पर पता चला कि वर्ष 11/2009 से वर्ष 03/2015 तक जो मुख्यालय द्वारा आँडिट किया गया था उसमें आँडिट पैरे लगाए गए थे, जिनके बारे में उनके द्वारा कोई लिखित जवाब नही दिया गया और जो आडिट के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जवाब नही दे सके। अतः उक्त को मुकदमा की तफतीश के दौरान शामिल तफतीश करके पुछताछ करने का सुझाव दिया गया है।

इस प्रकार वर्ष 2014-15 में पढ़ने वाले एस0सी0 छात्र/छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृति को मिलीभगत करके फर्जी कागजात तैयार करके, कालेजों में गलत एडमिशन दिखाकर, गलत तरीके से बैंकों में खाते खुलवाकर, बैंक खातों से अनुचित तरीके से छात्रवृति की राशि निकलवाकर तथा अपने पदों का दुरूपयोग करके अपने अनुचित लाभ के लिए व

सरकार को अनुचित हानि पहुंचाकर (1) लोकेश पुत्र श्री चन्द्रपाल वासी नलवा कालोनी गाँव उझा थाना चान्दनी बाग जिला पानीपत द्वारा आपस में मिलीभगत करके छात्र/छात्राओ को गुमराह करके डिग्री/डिप्लोमा का लालच देकर बैंक खाते खुलवाकर, (2) सुरेश कुमार पत्र ज्ञानी राम वासी जमालपुर तहसील भवानी खेड़ा जिला भिवानी मालिक सुपिरियर कोचिंग सैन्टर तौशाम जिला भिवानी द्वारा आपस में मिलीभगत करके छात्र/छात्राओं को गुमराह करके फार्म भरवाकर डिग्री/डिप्लोमा का लालच देकर, फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर, (3) अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चांदी राम गांव ढाणा कलां थाना हांसी जिला हिसार हाल मकान न0 459 अर्बन अस्टेट-2 थाना सैक्टर-16/17 हिसार द्वारा आपस में मिलीभगत करके छात्र/छात्राओं को गुमराह करके फार्म भरवाकर डिग्री/डिप्लोमा का लालच देकर बैंक खाते खुलवाकर छात्रवृति की राशि अनुचित तरीके से निकलवाकर, (4) रिंकु राम पुत्र प्रेम चन्द वासी रेरकला थाना सदर पानीपत द्वारा आपस में मिलीभगत करके छात्र/छात्राओं को गुमराह करके फार्म भरवाकर डिग्री/डिप्लोमा का लालच देकर फर्जी तरीके से वैंक खाते खुलवाकर, (5) प्रिसिपल/चेयरमैन ACE COMMUNITY COLLEGE BIKANER RAJASHTAN द्वारा आपस में मिलीभगत करके छात्र/छात्राओं केगलत तरीके से दाखिले दिखाकर, छात्रवृति के आवेदन पत्र कार्यालय डी0डब्लयू0ओ0 पानीपत में भेजकर अनुचित तरीके से बैंक खाते खुलवाकर छात्रवृति की राशि हड़पकर, (6) सी0एस0पी0 धारक राज कुमार पुत्र रोहताश निवासी मेन गैस गोदाम के पीछे उच्चा गावं 5 न0 चुगी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खाते खोलकर छात्रवृति की राशि को हड़प कर, (7) सी0एस0पी0 धारक धन सिह पुत्र श्री राम चन्द्र मकान न0 506 मुथुका मोड अटेली बल्लभगढ फरीदाबाद द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खाते खोलकर छात्रवृति की राशि को हड़प कर, (8) सी0एस0पी0 धारक दीपक गुप्ता पुत्र नन्द किशोर गुप्ता वासी मकान न0 सी-11 मेन मॉकिट चावला कॉलोनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से वैंक खातों से छात्रवृति की राशि की निकासी करके हड़प कर, (9) सी0एस0पी0 धारक नंद किशोर गुप्ता वासी मकान न0 सी-11 मेन मार्किट चावला कॉलोनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खातोंसे छात्रवृति की राशि की निकासी करके हड़प कर, (10) सी0एस0पी0 धारक मोहम्मद कुरैशी पुत्र मोहम्मद नासिर निवासी डाकुरगंज सूर्या पैलेस एम.के.ओ. द्वारासाजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खातोंसे छात्रवृति की राशि की निकासी करके हड़प कर (11) सी0एस0पी0 धारक प्रवीन भाटी पुत्र प्रेमपाल भाटी वासी मकान न0 2111 मलेरना रोड, छज्जु राम विधालय आर्दश नगर बल्लभगढ द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खातोंसे छात्रवृति की राशि की निकासी करके हड़प कर (12) सी0एस0पी0 धारक राहुल भाटी पुत्र प्रेमपाल भाटी वासी मकान न0 2111 मलेरना रोड, छज्जु राम विधालय आर्दश नगर बल्लभगढ द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खातोंसे छात्रवृति की राशि की निकासी करके हड़प कर, (13) सी0एस0पी0 धारक जगदीश पुत्र राम स्वरूप वासी बुलवाना थाना होडल जिला पलवल एम0आर0 गउशाला रोड हसनपुर चैक द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खातों से छात्रवृति की राशि निकासी करके राशि हड़प कर, (14) सी0एस0पी0 धारक प्रवीन कुमार पुत्र चेत राम वासी नांगल जाट तहसील हथीन जिला पलवल द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खाते खोलकर छात्रवृति की राशि को हड़प कर, (15) सी0एस0पी0 धारक बॉबी कुमार पुत्र रमन लाल वासी मकान न0 1 गली न0 4 भीम सिंह कालोनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खातों से छात्रवृति की राशि की निकासी करके हड़प कर, (16) हरेन्द्र कुमार वासी हथाना यु.पी एक्जीकयूटिव मैनेजर स्टारफीन कम्पनी द्वारा साजिश रचकर अन्य सी.एस.पी. धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खाते खोलकर छात्रवृति की राशि को हड़प कर, (17) संजीव कुमार पुत्र दयाल चन्द वासी गांव समौरा थाना इन्द्री जिला करनाल द्वारा सी0एस0पी0 धारकों से मिलीभगत करके गलत तरीके से बैंक खाते खोलकर छात्रवृति की राशि की निकासी करके राशि हड़प कर, (18) प्रिसिपल शिवालिक इन्सीटिच्युट आफ मैडिकल साईस मौहालीपंजाबद्वारा आपस में मिलीभगत करके छात्र/छात्राओं के गलत तरीके से दाखिले दिखाकर, छात्रवृति के आवेदन पत्र कार्यालय डी0डब्लयू0ओ0 पानीपत में भेजकर अनुचित तरीके से बैंक खाते खुलवाकर छात्रवृति की राशि हड़पकर, (19) श्रीमति रेणू सिसोदिया तत्कालीन डी0डब्लयू0ओ0 पानीपत द्वारा वर्ष 2014-15 में द्वारा अन्य से मिलीभगत करके शिक्षण संस्थानों व छात्रवृति के फार्मो को ठीक तरह से तस्दीक न करके व पद का दुरुपयोग करके व अपने कर्तव्यों का ईमानदारी व निष्ठा से निर्वहन न करके, (20) दिनेश कुमार, तत्कालीन डिलिंग क्लर्क, कार्यालय डी0डब्लयू0ओ0 पानीपत द्वारा वर्ष 2014-15 में अन्य

प्राईवेट व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके शिक्षण संस्थानों व छात्रवृति के फार्मो को ठीक तरह से तस्दीक न करके अपने पद का दुरुपयोग करके अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कालेज/शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई/कोर्स के दौरान दी जाने वाली छात्रवृति के सम्बन्ध में 125 छात्र/छात्राओं को गुमराह करके डिग्री देने का लालच देकर शिक्षण संस्थानों में अनुचित तरीके से दाखिले दिखाकर, अलग-अलग बैकों में छात्र/छात्राओं के नाम से अनुचित तरीके से बैक खाते खुलवाकर, अनुचित तरीके से जिला कल्याण अधिकारी पानीपत के कार्यालय से प्राप्त छात्रवृति की राशि को निकाल कर खुद अनुचित लाभ लेकर सरकार को लगभग 56,33,500/-रू0 की वितिय हानि पंहुचाई जाने की बिनाह पर धारा 409,420,467,468,471 व 120-बी भा0द0स0 व 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने का सुझाव देकर व अभियोग की तफतीश के दौरान अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी या प्राईवेट व्यक्ति की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव देकर कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 4920/आई-1/भ्र0नि0ब्यूरो(ह0), दिनांक 21.03.2025 अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग, चण्डीगढ़ को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग के पृष्ठाकन क्रमांक 38/08/2019-3चै0 दिनांक 29.09.2025, कार्यालय महानिदेशक, राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला के पृष्ठाकन क्रमांक 23157/आई-1/SVACB(H) दिनांक 21.11.2025 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल के डायरी न0 2563 दिनांक 24.11.2025 अनुसार तथा कार्यालय महानिदेशक, राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला के पृष्ठाकन क्रमांक 23725/मबतमज/ACB(H) Panchkulal दिनांक 28.11.2025 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल के डायरी न0 2648 दिनांक 29.11.2025 अनुसार सम्बंधित के खिलाफ अभियोग अंकित किए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः

(1) लोकेश पुत्र श्री चन्द्रपाल वासी नलवा कालोनी गाँव उझा थाना चान्दनी बाग जिला पानीपत,

(2) सुरेश कुमार पत्र ज्ञानी राम वासी जमालपुर तहसील भवानी खेड़ा जिला भिवानी मालिक सुपिरियर कोचिंग सैन्टर तौशाम जिला भिवानी,

(3) अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चांदी राम गांव ढाणा कलां थाना हांसी जिला हिसार हाल मकान न0 459 अर्बन अस्टेट-2 थाना सैक्टर-16/17 हिसार,

(4) रिंकु राम पुत्र प्रेम चन्द वासी रेरकला थाना सदर पानीपत,

(5) प्रिसिपल/चेयरमैन ACE COMMUNITY COLLEGE BIKANER RAJASHTAN

(6) सी0एस0पी0 धारक राज कुमार पुत्र रोहताश निवासी मेन गैस गोदाम के पीछे उच्चा गावं 5 न0 चुगी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद,

(7) सी0एस0पी0 धारक धन सिह पुत्र श्री राम चन्द्र मकान न0 506 मुथुका मोड अटेली बल्लभगढ फरीदाबाद,

(8) सी0एस0पी0 धारक दीपक गुप्ता पुत्र नन्द किशोर गुप्ता वासी मकान न0 सी-11 मेन मार्किट चावला कॉलोनी बल्लभगढजिला फरीदाबाद,

(9) सी0एस0पी0 धारक नंद किशोर गुप्ता वासी मकान न0 सी-11 मेन मार्किट चावला कॉलोनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद,

(10) सी0एस0पी0 धारक मोहम्मद कुरैशी पुत्र मोहम्मद नासिर निवासी डाकुरगंज सूर्या पैलेस एम.के.ओ.,

(11) सी0एस0पी0 धारक प्रवीन भाटी पुत्र प्रेमपाल भाटी वासी मकान न0 2111 मलेरना रोड, छज्जु राम विधालय आर्दश नगर बल्लभगढ,

(12) सी0एस0पी0 धारक राहुल भाटी पुत्र प्रेमपाल भाटी वासी मकान न0 2111 मलेरना रोड, छज्जु राम विधालय आर्दश नगर बल्लभगढ,

(13) सी0एस0पी0 धारक जगदीश पुत्र राम स्वरूप वासी बुलवाना थाना होडल जिला पलवल एम0आर0 गउशाला रोड हसनपुर चैक,

(14) सी0एस0पी0 धारक प्रवीन कुमार पुत्र चेत राम वासी नांगल जाट तहसील हथीन जिला पलवल,

(15) सी0एस0पी0 धारक बॉबी कुमार पुत्र रमन लाल वासी मकान न0 1 गली न0 4 भीम सिंह कालोनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद,

(16) हरेन्द्र कुमार वासी हथाना यु.पी एक्जीकयूटिव मैनेजर स्टारफीन कम्पनी,

(17) संजीव कुमार पुत्र दयाल चन्द वासी गांव समौरा थाना इन्द्री जिला करनाल,

(18) प्रिसिपल शिवालिक इन्सीटिच्युट आफ मैडिकल साईस मौहाली पंजाब,

(19) श्रीमति रेणू सिसोदिया तत्कालीन डी0डब्लयू0ओ0 पानीपत,

(20) दिनेश कुमार, तत्कालीन डिलिंग क्लर्क, कार्यालय डी0डब्लयू0ओ0 पानीपत द्वारा

वर्ष 2014-15 में पढ़ने वाले एस0सी0 छात्र/छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृति को मिलीभगत करके फर्जी कागजात तैयार करके, कालेजों में गलत एडमिशन दिखाकर, गलत तरीके से बैंकों में खाते खुलवाकर, बैंक खातों से अनुचित तरीके से छात्रवृति की राशि निकलवाकर तथा अपने पदों का दुरूपयोग करके अपने अनुचित लाभ के लिए वसरकार को लगभग 56,33,500/-रू0 की वितिय हानि पंहुचाई जाना पाये जाने पर जुर्म जेरधारा 409,420,467,468,471 व 120-बी भा0द0स0 व 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने के लिये लेख प्रबन्धक थाना, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल को प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग अकिंत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा मे भिजवाई जाये। मुकदमा हजा दर्ज करके अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियूक्त किया जावे तथा स्पैशल रिपोर्ट E-Mail के माध्यम से इलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भेजी जावे । अजः- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,करनाल मण्डल, करनाल । -SD-हेमराज निरीक्षक (हेमराज) राज्य सतर्कता एवं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र पानीपत । दिनाक 30.11.2025 AT : 2:45 PM

अज थानाः- उपरोक्त तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 33 दिनांक 30-11-2025 धारा 13(1)(d), 13(2) PC ACT 1988 and 409, 420,467,468,471,120-बी भा.द.स. थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डियुटी मैजिस्ट्रेट साहब पानीपत को बजरिया E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू निरीक्षक सतपाल न0 288/KR, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र पानीपत की तहवील मे रखी गई है । उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक तेजपाल, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Satpal Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 902ppt **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

30/11/2025

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Tejpal

Rank (पद): Inspector

No. (सं.):

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल